



अस्पृश्य जातियों की सामाजिक विकास

□ डॉ० शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

सारांश- भारत में अनुसूचित जाति की समस्या का सम्बन्ध आज उन 16.66 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों से है जो हिन्दू समाज की अभिन्न अंग है। वास्तव में अनुसूचित जातियों की समस्या का आधार भारत का वह जातीय संस्तरण रहा है जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च है जबकि इसके निम्नतम स्तर पर वे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें शूद्र जातियों में सबसे अधिक अपवित्र माना जाता रहा है। अब प्रश्न उठता है कि शूद्र कौन हैं? वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र को चारों वर्णों में सबसे निम्न वर्ण की संज्ञा दी गई जो वेद एवं उपनिषदों के आधार पर कर्म द्वारा निर्धारित वर्ण व्यवस्था है। जो कालान्तर में निम्न नामों से पुकारी जाने लगी। जैसे दलित, अछूत, हरिजन, बाहरी जाति एवं अनुसूचित जाति आदि साधारणतया अनुसूचित का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है, जिन्हें सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक सुविधाएँ दिलाने के लिए संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूचित जातियों को ऐसी जातियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो घृणित पेशों के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करते हैं।

अस्पृश्यता का तात्पर्य है "जो छूने योग्य नहीं है।" अस्पृश्यता एक ऐसी धारणा है कि जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने, देखने, और छाया मात्र से अपवित्र हो जाता है।

डॉ० के०एन० शर्मा के अनुसार "अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जिनके स्पर्श से व्यक्ति अपवित्र हो जाय और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े।"

हट्टन के अनुसार- हट्टन ने लोगों को अस्पृश्य माना है जो-

1. उच्च स्थिति के ब्रह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हो।
2. हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश करने के अयोग्य हों।
3. सवर्ण हिन्दूओं की सेवा करने वाले नाइयों, कहारों और दर्जियों की सेवा पाने के अयोग्य हों।
4. घृणित पेशे से पृथक होने के अयोग्य हों।
5. सार्वजनिक सुविधाओं (पाठशाला, सड़क एवं कुओं) को उपयोग में लाने के अयोग्य हों।

मजूमदार के अनुसार- "अनुसूचित जातियाँ वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं जिनमें बहुत-सी निर्योग्यतायें उच्च जातियों द्वारा

परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई है।"

सन् 1935 के विधान में इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से एक अनुसूची तैयार की गयी जिसमें विभिन्न अस्पृश्य जातियों को सम्मिलित किया गया। इस अनुसूची के आधार पर वैधानिक दृष्टिकोण से इन जातियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया।

अनुसूचित जाति में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय आधार साधारणतया गतिशीलता का तात्पर्य परिवर्तन से समझ लिया जाता है। वास्तव में सामाजिक गतिशीलता एक ऐसी दशा है जिसमें कुछ नयी दशाओं के प्रभाव से एक समूह की प्रस्थिति में परिवर्तन होने लगता है। विभिन्न विकास योजनाओं तथा स्वयं अनुसूचित जातियों में उत्पन्न होने वाली जागरुकता के फलस्वरूप उनकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसी को हम अनुसूचित जाति की गतिशीलता कहते हैं। यह गतिशीलता दो तरह की होती है-

1. आरोही गतिशीलता
2. अवरोही गतिशीलता।

आरोही गतिशीलता पहले की तुलना में ऊँची स्थिति को स्पष्ट करती है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति अथवा समूह की स्थिति पहले की तुलना में नीची हो जाय तो उसे अवरोही गतिशीलता कहा जाता है।

आज वर्तमान समय में अनूसूचित जातियों में सामाजिक गतिशीलता का मुख्य कारण एक नहीं बल्कि अनेक हैं। व्यक्तियों का व्यक्तियों से सम्पर्क, गाँव का गाँव से सम्पर्क, नगर से सम्पर्क, स्थान परिवर्तन, शिक्षा द्वारा अपनी स्थिति में सुधार, विभिन्न सरकारी नौकरियों प्राप्त करना, राजनैतिक नेतृत्व इत्यादि सामाजिक गतिशीलता के द्योतक हैं। इनके अलावा अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाय तो समय-समय पर हुए आन्दोलन जैसे-भक्ति आन्दोलन, सामाज सुधार आन्दोलन आदि भी गतिशीलता ही कहे जा सकते हैं।

भक्ति आन्दोलन एवं सामाजिक आन्दोलन में गतिशीलता के वाहक सन्त शिरोमणि सन्त रैदास को कौन नहीं जानता। सन्त रैदास का प्रादुर्भाव एक कुलीन परिवार में ऐसे समय हुआ था, जब समाज अनीतियों से घिरा हुआ था। तामसी वृत्तियों ने सदगुणों पर अपना सिक्का जमा लिया था। समाज अनाचार, दुराचार एवं अत्याचार से ग्रस्त था। मनुष्य आश लगाये थे कि परिस्थितियाँ बदले, जिसे आन्तरिक एवं बाह्य दोनों की सुखद अनुभूति हो। ऐसी परिस्थिति में भक्तिकाल का सूर्योदय हुआ और कबीर, नानक, रैदास, गोरख, दादू-दयाल और नामदेव इत्यादि सन्तों का प्रादुर्भाव हुआ। इन सन्तों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया और तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने बुराइयों को समाप्त किया। उनके द्वारा सुझाये गये उपाय आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इन सन्तों का मुख्य ध्येय समाज सुधार के साथ-साथ परमशक्ति की उपासना था-

**जाति भी ओछा, कर्म भी ओछा,
ओछा सब व्यवहार।
नीचे से प्रभु ऊँच किये हैं,
कह रैदास चमारा।।**

ऐसा कहकर उन्होंने अपने जन्म, कर्म जाति वर्ण आदि को पुष्ट किया है। रैदास ने सिद्ध कर दिया कि उपासना से कोई भी मनुष्य सिद्धि पा सकता है चाहे वह किसी भी जाति, वर्ण का क्यों न हो। अपने पैतृक कार्य

को करते हुए, भक्ति की उस सीमा को प्राप्त हुए जिसका समादर समाज आज भी करता है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती—स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म 1824 ई0 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। गृह त्याग के बाद मथुरा में स्वामी विरजानन्द के शिष्य बनें। 1863 में शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु 'पाखण्ड खण्डिनी पताका' फहराई। इन्होंने 'वेदो की ओर लौटो' तथा 'भारत भारतीयों के लिए' नारे दिए। दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश (हिन्दी भाषा) में तथा वेद भाष्यों की रचना की। इन्होंने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों का पुनः हिन्दू बनाने के लिए शुद्ध आन्दोलन चलाया। 1863 में दयानन्द का देहान्त हो गया।

दयानन्द जी ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। यह आन्दोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू धर्म में सुधार के लिए प्रारम्भ हुआ था। इसके पहले ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के बाद विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महात्मा गांधी डॉ० भीमराव अम्बेडकर आदि ने समाज सुधार के प्रयत्न किये और कई संस्थाओं की स्थापना की। आर्य समाज मूर्ति पूजा, अन्धविश्वासों को अस्वीकार करते हुए छुआ-छूत व जाति प्रथा का विरोध किया। स्त्रियों एवं शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया।

अम्बेडकर का दलित उत्थान आन्दोलन—अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को इन्दौर में महु छावनी में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम भीमसकपाल था। महार जाति जिसमें अम्बेडकर का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी। आपके पिता रामजी सकपाल कबीर के अनुयायी थे और इस कारण उनके मस्तिष्क में जातिवाद का कोई स्थान ही नहीं था। अगाध ज्ञान, अद्भुत प्रतिभा, सराहनीय निष्ठा और न्यायशीलता तथा स्पष्टवादिता के धनी अम्बेडकर ने अपने आपको दलितों के प्रति समर्पित कर दिया। अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें अपने जीवन में पग-पग पर भारी अपमान और घोर यन्त्रणा की स्थिति का सामना करना पड़ा। इन यातनाओं को झेलते हुए आगे बढ़े और

निश्चय किया कि भारत में अस्पृश्य वर्ग के लिए अमानवीय जीवन की इस स्थिति को समाप्त कर उन्हें मानवता के स्तर पर लाना है। इन्हें भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर कहा गया है।

डॉ० अम्बेडकर महान पुस्तक प्रेमी और

अध्ययन- अध्यापन उनका सबसे प्रिय कार्य था, लेकिन दलितोद्धार की भावना उन्हें सार्वजनिक जीवन और राजनीति में ले आई। उनके समस्त सार्वजनिक जीवन का प्रमुख आर अम्भवतया एक मात्र लक्ष्य था, दलितोद्धार। आपने जीवन के प्रथम 35 वर्षों में पग-पग पर घोर अपमान, अमानवीय व्यवहार और भारी यन्त्रणा की स्थिति को भोगा था। एक पत्रकार से आपने कहा था— “मेरे दुःख-दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, जब सुनोगे तो रो पड़ोगे। यन्त्रणा की इन स्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने दलितोद्धार के व्रत को धारण कर लिया था। जब आप शिक्षा पूरी कर चुके थे, उन दिनों अछूतों में जागृति आ रही थी। वे बरावरी की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सवर्णों से लड़ाई प्रारम्भ कर चुके थे। अम्बेडकर द्वारा लड़ी इस लड़ाई में उच्च हिन्दू जातियों के प्रति गहरी विरोध भावना निहित है। अम्बेडकर हिन्दू धर्मग्रन्थों को पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे। दलितों में सामाजिक परिवर्तन की चाह पैदा करने के लिए कांशीराम ने “डीएसफोर” नामक संगठन बनाया। राजनीति के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए थे कि हिन्दुओं की नियति शूद्रों को उठाने की नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटिश शासक शूद्रों के उत्थान के प्रति उदासीन है। इस पृष्ठभूमि को समझ लिया कि अछूत सभी प्रकार से कमजोर हैं और वे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू पर सवर्णों का मुकाबला नहीं कर सकते। अतः वे अछूतों के उत्थान के लिए अहिंसात्मक संघर्ष में जुट गए और जीवन-पर्यन्त इसी कार्य में लगे रहे और उन्हें सफलता भी मिली।

अनूसुचित जाति / जनजाति को

संविधान प्रदत्त आरक्षण का लाभ – संविधान के नीति-निदेशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों विशेषकर ‘अनूसुचित जातियों एवं जन जातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान

करेगा। संविधान के पन्द्रहवें भाग के अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं करेगा। संविधान के सोलहवें भाग के अनुच्छेद 330 व 332 में कहा गया है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनूसुचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किये गये हैं। इसी भाग के 335वें अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखें।

निष्कर्ष-

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दलित जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति आज भी दयनीय एवं चिन्ताजनक है। यहाँ हर व्यक्ति एक जातीय पहचान के साथ अस्तित्व में आता है, जीता है और मर जाता है, परन्तु वह पहचान न उससे छूटती है और न वह उसे छुड़ा पाता है। यह बात तो दलित समाज की प्रत्येक जाति का सर्वविदित सच है। उसे दलित हरिजन, अन्त्यज, बहिष्कृत या अनूसुचित जाति का क्यों न कहा जाय, परन्तु सार्वजनिक जीवन में उसे सिर्फ अपमान घृणा और हानि भाव मिलता है। दलित जातियों का प्रश्न चक्रव्यू हके रूप में दुष्चक्रों से भरा हुआ है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में दलित जातियों के सामाजिक अधिकारों और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर के विचारों की राह पकड़ना प्रासंगिक माना जा रहा है, तथापि कोई भी समस्या जब तक पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी न बने तब तक उसका कारगर चौतरफा निदान सम्भव नहीं। शेष समाज का ध्यान इस जाति से जुड़े सदस्यों की मर्यादक पीड़ा की ओर आकर्षित होना समस्या के समाधान की दिशा में उठा हुआ कदम माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक समस्याओं के निराकरण में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परन्तु भारतीय समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी जातियों में विभाजित होने को अभिशप्त है ऐसी स्थिति में जरूरी है कि अपनी जाति के प्रति दलित बुद्धिजीवी अपनी जिम्मेदारी समझे।

वस्तुतः दलित कहाँ से आये उनका किन ऋषियों से सम्बन्ध है, किनसे नहीं यह सब व्यर्थ नहीं,

परन्तु बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। अगर वर्तमान और भविष्य के निर्माण पर ध्यान दिया जाय जो आज बहुत जरूरी है तो इतिहास अपने-आप बन जायेगा, इसलिए दलित जातियों के उत्थान और उनके मानवोचित जीवन की परिस्थितियों के निर्माण के लिए उनमें शिक्षा का विस्तार होना ही चाहिए। क्योंकि जब तब समाज में शिक्षा न होगी, जागृति न होगी, गतिशीलता न होगी, समझ न होगी, तब तक अन्य उपाय अर्थहीन होंगे। दलितों की प्रतिरोधक चेतना की शुरु में ही हत्या कर दी जाती है और उनका मानसिक अनुकूलन किया जाता है। इसलिए शिक्षा प्राप्ति दलितों की मुक्ति का सबसे ज्यादा कारगर हथियार बन सकती है। अगर वे पढ़ लिख जायेंगे तो उन्हें स्वतः ही अपनी अमानवीय स्थिति से उबरने का रास्ता सूझ जाएगा। परन्तु कोई भी सामाजिक समस्या स्वेच्छा पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए, दलितों के प्रति होने वाले शोषण, अत्याचार और अमानवीय व्यवहार के प्रति दण्ड विधान एक कारगर उपाय है जिसे आधुनिक प्रजातांत्रिक समाज में ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है।

महात्मा गांधी ने यद्यपि दलितों की समस्याओं को 1924 में ही उठाया किन्तु उससे पूर्व भी दलितों के जीवन में सुधार के लिए अनेक प्रयत्न किये। सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं चलाई गयी जिनसे दलितों की स्थिति में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेडकर का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने दलितों को सम्मान, मानवीय गरिमा तथा सामाजिक न्याय प्राप्त कराने के उद्देश्य से राजनीतिक उपायों पर अधिक

बल दिया और पारम्परिक धर्म ग्रन्थों तथा सामाजिक मान्यताओं को अस्वीकार करने पर भी बल दिया। इसी के संदर्भ में उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़कर स्वयं बौद्ध धर्म अपनाया और दलितों को भी बौद्ध धर्म अपनाने के प्रेरणा दिया। वस्तुतः भारतीय समाज में दलित की स्थिति अत्यन्त दयनीय एवं चिन्ताजनक रही है और एक बड़ी सीमा में आज भी है। परन्तु वर्तमान काल में दलितों में सामाजिक, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है और साथ ही उन्हें संविधान द्वारा आरक्षण की सुविधा प्राप्त हुई है जिससे कहा जा सकता है कि दलितों की जीवन दशा में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Who were the Sudras: Amberdkar, B.R., Teacker & Co. Ltd. Bombay, p.946
2. समाजशास्त्र-जी० के अग्रवाल, साहित्यभवन पब्लिकेशन, 2008।
3. "सन्त षरण", आत्मनिवेदन-महन्त देवराज।
4. प्रतियोगिता दर्पण, मई 2007 हिन्दी मासिक।
5. बौद्ध-धर्म -षंकाएँ एवं समाधान -डॉ० धर्मकृति।
6. बौद्ध धर्म और सामाजिक न्याय -बाल्मीकि प्रसाद।
7. समाजशास्त्र- प्रो० एम० एल० गुप्ता एवं डॉ० डी शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन।
8. युगपुरुष- मान्यवर कांषीराम, कमलाकान्त राज पाकेट बुक्स 330/1, बुराड़ी दिल्ली-110084।
9. समाजशास्त्र-प्रो० एम० एल० गुप्ता एवं डॉ० डी शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन।
